

इसे वेबसाइट [www.govtprintmp.nic.in](http://www.govtprintmp.nic.in) से  
भी डाउन लोड किया जा सकता है।



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 42]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 18 अक्टूबर 2019—आश्विन 26, शक 1941

### भाग २

स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं  
कार्यालय, कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा मध्यप्रदेश  
छिन्दवाड़ा, दिनांक 10 अक्टूबर 2019

क्र. 521-जिशविअ-2019.—मध्यप्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा 405 (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस विषय पर पूर्व में जारी समस्त अधिसूचनाओं को अधिस्थित करते हुए नीचे दी गई सारणी के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट नगर निगम के संबंध में उक्त सारणी के तत्स्थानी कॉलम (3) में यथानिर्दिष्ट वार्डों की संख्या 48 के स्थान पर 50 अवधारित की जाती है:—

अनुक्रमांक (1)	नगर निगम का नाम (2)	वार्डों की संख्या (3)
1	नगर पालिक निगम, छिन्दवाड़ा	50

श्रीनिवास शर्मा, कलेक्टर.

Chhindwara, the 10th October 2019

No. 521-D.U.D.A-2019.—In exercise of the power conferred under Section 405 (1) of the Madhya Pradesh Municipal Corporation Act, 1956 and delegation of powers in this regard, the No. of word shown in 48 instead of 50 words column (3), is here by determined in reference to the Municipal Corporation shown in column (2) in the following table.

S. No. (1)	Name of Municipal Corporation (2)	No. of Wards (3)
1	Municipal Corporation Chhindwara	50

SHRINIWAS SHARMA, Collector.

## कार्यालय संयुक्त संचालक नगर तथा ग्राम निवेश

जिला भोपाल-सीहोर-रायसेन, मध्यप्रदेश

“कचनार” ई-5, पर्यावरण परिसर, अरेरा कालोनी, भोपाल-462016

भोपाल, दिनांक 15 अक्टूबर 2019

क्र. 2485-नगरनियम-जिका-निवेश क्षेत्र-2019.—मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 15 की उपधारा (3) के अनुसरण में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु यह प्रकाशित किया जा रहा है कि संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश द्वारा निम्नलिखित अनुसूची में विनिर्दिष्ट भोपाल निवेश क्षेत्र में भूमि का वर्तमान उपयोग संबंधी मानचित्र तदनुसार सम्यक् रूप से अंगीकृत किये जाते हैं। इस सूचना की प्रति उक्त अधिनियम की धारा 15 (4) के अनुसरण में मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशन हेतु भेजी जा रही है। जो इस बात का निश्चायक साक्ष्य होगा कि मानचित्र सम्यक् रूप से तैयार तथा अंगीकृत कर लिया है।

### निवेश क्षेत्र अनुसार अनुसूची

1. उत्तर—ग्राम-फंदाकलां, खोरी, बरखेड़ा सालम, परवलिया सड़क, चंदु खेड़ी, कुराना, मनीखेड़ी कोट, रोजीबेग, राताताल, खजूरी, निपानिया जाट, खामखेड़ा, इमलिया एवं सूखी सेवानिया की उत्तरी सीमा तक।
2. पूर्व—ग्राम-सूखी सेवानिया, पिपलिया जाहिरपीर, अनन्तपुरा, शांतिनगर, आदमपुर, छावनी, बिलखिरियाकलां, नरोन्हा सांकल (सांकल पड़रिया), डगरौली, जमुनियाकलां, पिपलिया हटेला, नरेला बाज्याफत, बगरौदा, बंगरसिया पूर्वी सीमा तक।
3. दक्षिण—ग्राम-खुर्चनी, आंवला, समसपुरा, बाबलीखेड़ा, कालापानी, गोल, शोभापुरा जहिज, पंचामा, बन्दोरी, सुरैया नगर, खाड़ाबाद, कोटरा, खाड़ाबाद, पिपलयारानी, समरधा कलियासोत, दीपड़ी, बंगरसिया एवं बगरौदा दक्षिणी सीमा तक।
4. पश्चिम—ग्राम-परवलिया सड़क (शाहपुरा), भौंरी, बरखेड़ा, सालम, खौरी, धमनियां, फंदाकलां, फदाखुर्द, हताईखेड़ी, सेस्टाखेड़ी, टीलाखेड़ी, कल्याणपुर, देहरियाकलां, खुरचनी एवं आमला की पश्चिमी सीमा तक।

अब, उपरोक्त योजना क्षेत्र के लिये वर्तमान भूमि उपयोग हेतु मानचित्र उक्त अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (3) के अधीन एतद्वारा अंगीकृत किया जाता है और उसकी प्रति दिनांक 18-10-2019 से 25-10-2019 तक कार्यालयीन समय के दौरान निरीक्षण हेतु कार्यालय में उपलब्ध रहेगी:—

5. आयुक्त, भोपाल-संभाग भोपाल (म. प्र.).
6. जिला कलेक्टर, भोपाल.
7. आयुक्त, नगर पालिक निगम, भोपाल (म. प्र.).
8. संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला भोपाल (म. प्र.).

क्र. 2484-नगरानि-जिका-निवेश क्षेत्र-2019.—मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 15 की उपधारा (3) के अनुसरण में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु यह प्रकाशित किया जा रहा है कि संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश द्वारा निम्नलिखित अनुसूची में विनिर्दिष्ट सीहोर निवेश क्षेत्र में भूमि का वर्तमान उपयोग संबंधी मानचित्र तदनुसार सम्यक् रूप से अंगीकृत किये जाते हैं। इस सूचना की प्रति उक्त अधिनियम की धारा 15 (4) के अनुसरण में मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशन हेतु भेजी जा रही है। जो इस बात का निश्चायक साक्ष्य होगा कि मानचित्र सम्यक् रूप से तैयार तथा अंगीकृत कर लिया है।

### निवेश क्षेत्र अनुसार अनुसूची

1. उत्तर—ग्राम-बिजोरा, बिजोरी, राजूखेड़ी, जमुनियाकलां, थुनाखुर्द, थुनाकलां, लसुड़िया परिहार एवं जमनी उत्तरी सीमा तक।
2. पूर्व—ग्राम-थूनाकलां, लसुड़िया परिहार, जमनी, पाड़ली, बारवानखेड़ी, कुलासकलां, सिंकन्दरगंज, चौनपुरा, भान्देली, खुरानिया की पूर्व सीमा तक।
3. दक्षिण—ग्राम-गुड़भेला, हसनाबाद, डाबोटी, बामुलिया, सीहोर, सागोनी, बरखेड़ा, बजावत, इमलीखेड़, गेरुखान, पाटनी, बिलकिसगंज, खुरानियां दक्षिणी सीमा तक।
4. पश्चिम—ग्राम-बिजौरा, अवन्तीपुरा, शिवपुरी, शाहपुर कोदिया, रफीकगंज, गुड़भेला, हसनाबाद, डाबोटी की पश्चिमी सीमा तक।

अब, उपरोक्त योजना क्षेत्र के लिये वर्तमान भूमि उपयोग हेतु मानचित्र उक्त अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (3) के अधीन एतद्वारा अंगीकृत किया जाता है और उसकी प्रति दिनांक 18-10-2019 से 25-10-2019 तक कार्यालयीन समय के दौरान निरीक्षण हेतु कार्यालय में उपलब्ध रहेगी:—

1. आयुक्त, भोपाल-संभाग, भोपाल
2. कलेक्टर, सीहोर।
3. मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगरपालिका परिषद्, सीहोर।
4. संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला भोपाल (म. प्र.)।

सुनीता सिंह, संयुक्त संचालक।